तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/9/20	अनुसार कोरोना रू०/P.O. आदेश ...COVID-19... पत्रावली दिनांक 5.1.2[illegible] को पेश हो।	
5.1.20	वकील अपीलान्ट ~~[illegible]~~ उपस्थित। वकील अपीलान्ट बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15.1.21 को पेश हो। SDOR	
15/1/21	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। अतः इन्तकाल संख्या 1174 बाके ग्राम इसरोटा आज्ञा दिनांक 21.8.2017 व इन्तकाल संख्या 1452 बाके ग्राम कोकटोली आज्ञा दिनांक 8.11.2017 अपीलान्ट को बिना सुने पारित होने से खारिज किये जाते हैं। प्रकरण तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है। कि वो पक्षकारान को सुनकर वसीयत के प्रमाणीकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुये नियमानुसार इन्तकाल नये सिरे से निर्णीत करे आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार कठूमर को भिजवाई जावे निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे पत्रावली मौसल मुताबिक रजिस्टर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया SDOR	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री अनिलकुमार सिंघल आर ए एस

राजस्व अपील संख्या 12 / 07 / 2019

वउनवान

1. रविकुमार पुत्र श्री अशोककुमार बसीयती पुत्र हरभजन जाति जाटव निवासी कांकरोली तहसील कठूमर।

------ अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत ईसरोता पंचायत समिति कठूमर तहसील कठूमर
2. उशा पत्नी अशोककुमार जाति जाटव निवासी कांकरोली
3. ननगो पुत्री हरभजन जाति जाटव निवासी कांकरोली
4. शशि पुत्री अशोककुमार जाति जाटव निवासी कांकरोली
5. भीतल पुत्री अशोककुमार जाति जाटव निवासी कांकरोली
6. सपना पुत्री अशोककुमार जाति जाटव निवासी कांकरोली
7. सावन्ती पत्नी लालाराम जाति जाटव निवासी कांकरोली

तहसील कठूमर जिला अलवर।

------- रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व इन्तकाल सं0 1174 वाके ग्राम ईसरोता आज्ञा दिनांक 21.08.2017 व इन्तकाल संख्या 1482 वाके ग्राम कांकरोली आज्ञा दिनांक 08.11.2017

उपस्थित :-

श्री भीमसिह राना एडवोकेट : वकील अपीलाण्ट

निर्णय दिनांक 15.01.2021

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हे कि आराजी खसरा नम्बर 781, 786, 782 वाके ग्राम कांकरोली व आराजी खासरा नम्बर 18, 49, 51 वाके ग्राम ईसरोता अपीलाण्ट के पडदादा हरभजन के कब्जे का त खतेदारी की आराजी थी। हरभजन के एक पुत्र अपीलाण्ट का पिता लालाराम था जिनका स्वर्गवास हो गया। लालाराम का एक पुत्र अशोक व वेवा सावन्ती थी अशोक का स्वर्गवास लालाराम के जीवनकाल में ही

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

गया था। अशोक के वारिस अपीलाण्ट रविकुमार व शशि, सपना, शीतल व वेवा उशा है। भजन की उम्र वृद्वावस्था की हो गयी थी। हरभजन ने अपनी सेवा चाकरी के लिये अपीलाण्ट को अपने पास रख लिया था।अपीलाण्ट ने ही हरभजन की वृद्वावस्था में सेवा चाकरी की तथा हरभजन अपनी चल अचल सम्पत्ति की साल संभाल व कृशि भूमि पर काश्त अपीलाण्ट से कराने लग गया। तव हरभजन ने अपीलाण्ट की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपने जीवनकाल में ही अपीलाण्ट के हक में अपनी चल अचल सम्पत्ति की वसीयत 100 रूपया के एक स्टाम्प व एक पाइप पेपर पर गवाहान हेतराम निवासी कांकरोली व प्रभू निवासी बरावली तहसील डीग व सावन्ती की उपस्थिति में स्वेच्छा व सहमति से लिखवा दी तथा गवाहान के समक्ष अपने अंगूठा कर दिये व नोटरी पब्लिक से तस्दीक कराकर असल बसीयतनामा अपीलाण्ट के हवाले कर दिया। हरभजन का स्वर्गवास हो गया जव तक हरभजन जीवित रहा अपनी आराजी पर काविज रहकर का त करता रहा व अपनी चल अचल सम्पत्ति पर काविज रहकर उपयोग एंव उपभोग करता रहा हरभजन के फौत हो जाने पर हरभजन की समस्त चल अचल सम्पत्ति पर अपीलाण्ट काविज हो गया व उपयोग एंव उपभोग करता चला आ रहा है कृशि भूमि पर काश्त कर रहा है। लेकिन मृतक हरभजन के मरने पर उसका विरासत इन्तकाल संख्या 1452 वाके ग्राम कांकरोली व इन्तकाल संख्या 1174 वाके ग्राम ईसराता अपीलाण्ट को विना सुनाये विना वुलाये एकपक्षिय रूप से खिलाफ कानून व खिलाफ मौका रेस्पो0 सं0 1 ने रेस्पो0 सं0 2 ला0 7 के हक में वहिस्सा बराबर स्वीकार कर दिया जो गलत है ग्राम पंचायत को अपीलाण्ट को सुनकर बसीयतनामा के आधार पर अपीलाण्ट के हक में मृतक हरभजन का इन्तकाल स्वीकार करना चाहिए था। जो इन्तकाल किता 2 व आज्ञा ग्राम पंचायत ईसरोता मनमाना स्वेच्छाचारी मौके एंव कब्जे के विपरीत व उत्ताधिकार अधिनियम के प्रावधानों एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत होने से निरस्त किये जाकर मृतक हरभजन का विरासत इन्तकाल वसीयतनामा के आधार पर अपीलाण्ट के हक में स्वीकार किया जाना न्यायोचित हे। गलत आदेशों की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 08.06.2019 को उस समय हुई जव अपीलाण्ट पटवारी हल्का से अपनी आराजीयात पर केडिट कार्ड बनवाने के लिये फाइल बनवाने गया। इससे पहले उक्त गलत इन्तकाल की जानकारी नहीं हुई जानकारी होने पर अपीलाण्ट ने रेस्पो0 से बसीयतनामा के आधार पर मृतक हरभजन का विरासत इन्तकाल अपने नाम स्वीकार कराने वावत कहा तो रेस्पो0 सं0 1 ने मना कर दिया। अपील पेश करने की देरी दिनांक 08.11.2017 व दिनांक 21.08.2017 से अपील पेश करने की दिनांक 17.06.2019 तक की देरी को कण्डोन किये जाने

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः उक्त तकाल किता 2 व आदेश रेस्पो0 सं0 1 गलत व गैरकानूनी होने से निरस्त किये जकर मृतक हरभजन का विरासत इन्तकाल अपीलाण्ट के हक में स्वीकार किया जावे। जिस हेतु अपील की गई है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन बनाम रेस्पो0 तलव किया गया। रेस्पो0 सं0 6 की ओर से श्री बृजेशकुमार मीना उपस्थित आये। रेस्पो0 सं0 1 ला0 5 व 7 वावजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 05.08.2019 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अपीलाण्ट ने अपनी अपील के समर्थन में इन्तकाल संख्या 1174 वाके ग्राम ईसरोता इन्तकाल संख्या 1452 वाके ग्राम कांकरोली जमाबन्दी वाके ग्राम ईसरोता व ग्राम काकरोली मूल वसीयतनामा दिनांक 03.06.2019 मृत्यु प्रमाण पत्र हरजभजन दिनांक 23.09.2011 अपील के साथ पेश किये है। जो शामिल पत्रावली है।

उभय पक्षकारान की वहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी वहस में अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया हरभजन ने अपने जीवनकाल में ही अपीलाण्ट को अपनी सेवा चाकरी के लिये रख लिया था तथा अपनी ओर से अपनी खातेदारी की आराजी पर अपीलाण्ट से काश्त कराता था था चल अचल सम्पत्ति की देखभाल भी अपीलाण्ट से कराता था। अपीलाण्ट की सेवाओं से प्रसन्न होकर ही हरभजन ने अपनी चल अचल सम्पत्ति की अपनी अंतिम ईच्छा से वसीयत दिनांक 03.06.2009 को तहसील कठूमर में लिखा दी। जव तक हरभजन जीवित रहा अपनी चल अचल सम्पत्ति पर काविज रहकर का त करता रहा उसके मरने पर हरभजन की समस्त चल अचल सम्पत्ति पर अपीलाण्ट काविज रहकर उपयोग एंव उपभोग व खातेदारी की आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहा है। पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को विना सुने विना वुलाये खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से मृतक हरभजन का विरासत दिनांक 08.11.2017 व दिनांक 21.08.2017 को अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 2 ला0 7 के नाम वहिस्सा बराबर स्वीकार कर भारी कानूनी भूल की है। रेस्पो0 सं0 1 को तो अपीलाण्ट को सुनकर वसीयत के आधार पर अपीलाण्ट के नाम ही विरासत इन्तकाल स्वीकार करने चाहिए थे। उक्त इन्तकालों के आधार पर हाल राजस्व रेकार्ड में भी अपीलाण्ट के साथ रेस्पो0 2 ला0 7 के नाम वहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज हो रही है जो गलत है। अतः इन्तकाल संख्या 1452 वाके ग्राम कांकरोली आज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

08.11.2017 व इन्तकाल संख्या 1174 वाके ग्राम ईसरोता आज्ञा दिनांक 21.08.2017 रेस्पो0 को निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की वहस पर मनन किया। सर्व प्रथम हमें अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ पेश किये गये धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न निर्णयों में मियाद के विन्दु पर नरम रूख अपनाया है। अतः हस्तगत प्रकरण में मियाद के विन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट अन्दर अवधि भुमार की जाती है। अपीलाण्ट ने उक्त इन्तकाल अपीलाण्ट को विना सुने विना वुलाये ही ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया जाना कथन किया है। अपीलाण्ट का कथन कि हरभजन ने अपने जीवनकाल में अपनी चल अचल सम्पत्ति की वसीयत अपीलाण्ट के हक में कर दी थी। अपीलाण्ट हरभजन का बसीयती पुत्र है। जिसके समर्थन में अपीलाण्ट ने अपील के साथ मूल वसीयतनामा दिनांक 03.06.2009 पेश की है तथा मृतक हरभजन का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है। इन्तकालों के अवलोकन से यह सही है कि ग्राम पंचायत ने मृतक हरभजन के विरासत इन्तकाल अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 2 ला0 7 के नाम वहिस्सा बराबर स्वीकार किया है तथा उक्त विरासत इन्तकाल के आधार पर जमाबन्दी हाल में खातेदारी का अमल हो रहा है। इससे स्पश्ट है कि ग्राम पंचाायत ने अपीलाण्ट को सुने विना ही मृतक हरभजन के विरासत इन्तकाल स्वीकार किये है। ग्राम पंचायत को अपीलाण्ट को सुनकर ही विरासत इन्तकाल स्वीकार करना चाहिए था। ग्राम पंचायत द्वारा मृतक हरभजन के विरासत इन्तकाल अपीलाण्ट को विना सुने विना वुलाये स्वीकार किये जाने प्रतीत होते है। अतः इन्तकाल संख्या 1174 वाके ग्राम ईसरोता आज्ञा दिनांक 21.08.2017 व इन्तकाल संख्या 1452 वाके ग्राम कांकरोली आज्ञा दिनांक 08.11.2017 अपीलाण्ट को विना सुने पारित होने से खारिज किये जाते है। प्रकरण तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वो पक्षकारान को सुनकर वसीयत के प्रमाणिकता के तथ्यों को ध्यान में रखते हुये नियमानुसार इन्तकाल नये सिरे से निर्णीत करें। आदेश की प्रति बास्ते पालनार्थ तहसीलदार कठूमर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिलकुमार सिंघल) 15.1.21
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 15.01.2021 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिलकुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर
15.1.21